अनुबंध - I

विवेकपूर्ण मानदंड - सी आर ए आर की संगणना के लिए जोखिम भार

(पैरा सं.4(iii) देखें)

I. घरेलू परिचालन

ए. निधिकृत जोखिम आस्तियां

आस्तियों की सीमाएं	जोखिम भार
I. शेष	
i. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) शेष	0
II. शहरी सहकारी बैंकों के चालू खातों मे शेष	20
IIi. अन्य बैंकों के चालू खातों में शेष	20
II. निवेश	
i. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	2.5
II. केंद्र सरकार /राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	2.5
IIi. अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहाँ ब्याज का भुगतान तथा मूलधन की चुकौती केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत हो (इसमें इंदिरा /किसान विकास पत्रों तथा बांड एवं डिबेंचरों में निवेश शामिल हैं जहां ब्याज का भुगतान तथा मूलधन की चुकौती केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत हो)	2.5
iv. अन्य प्रतिभूतियों मे निवेश जहाँ ब्याज का भुगतान तथा मूलधन की चुकौती राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत हो	2.5
टिप्पणी : ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश, जहाँ ब्याज का भुगतान अथवा मूलधन की चुकौती राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत हो और जो एक अनर्जक निवेश बन गया हो, पर 102.5 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा (31 मार्च 2006 से)	
v. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज का भुगतान तथा मूलधन की चुकौती केंद्र / राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत नहीं है ।	22.5
अनुमोदित बाजार उधार कार्यक्रम का भाग न होनेवाले सरकारी उपक्रमों के सरकारी गारंटी प्रतिभूतियों में निवेश	22.5
vi. (ए)वाणिज्यिक बैंकें, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों पर दावे जैसे सावधि जमा राशियां, जमा प्रमाणपत्र आदि	20
(बी)अन्य शहरी सहकारी बैंकों पद दावे जैसे मीयादी / सावधि जमा राशियां	
vii. सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी बांडों में निवेश	102.5
viii. सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओ द्वारा अपनी टियर - II पूंजी के लिए जारी बांडों में निवेश	102.5
ix. प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले बांडों/ डिबेंचरों/ प्रतिभूति रसीदों में निवेश	102.5

x. अन्य सभी निवेश **टिप्पणी** : टियर । पूंजी से घटायी गई अमूर्त आस्तियों एवं हानियों को शून्य भार दिया जाए ।	102.5
xi. `जब जारी' प्रतिभूतियों की प्रतिभूतिवार तुलन पत्रेतर (निवल) स्थिति	2.5
III. ऋण और अग्रिम	
i. खरीदी तथा भुनाई गई हुंडियों तथा भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत अन्य ऋण सुविधाओं सहित ऋण और अग्रिम	0
ii. किसी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत ऋण	0
iii. किसी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत अग्रिम जो अनर्जक अग्रिम बन गया हो (31 मार्च 2006 से)	100
iv. भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिया गया ऋण	100
v) <u>स्थावर संपदा ऋण</u>	
(ए) व्यक्तियों को दृष्टिबंधक रिहायशी आवासीय ऋण :	
• ₹ 30.00 लाख तक (एल टी वी अनुपात* = या < 75%)	50
• ₹ 30.00 लाख से अधिक ध (एल टी वी अनुपात = या < 75%)	75
• ऋण राशि से इतर (एल टी वी अनुपात या > 75%)	100
(बी) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	100
(सी) अन्य किसी प्रयोजन के लिए सहकारी / ग्रुप सहकारी समितियां तथा आवासीय बोर्ड	100
(डी) वाणिज्यिक स्थावर संपदा - आवासीय मकान	75
* एल टी वी की संगणना खाते में कुल बकाया की प्रतिशतता के रूप में (जैसे "मूलधन + उपचित ब्याज + ऋण से संबंधित अन्य प्रकार" बिना किसी समंजन के) अंश के रूप में तथा बैंक को दृष्टिबंधक आवासीय संपत्ति के वसूलीयोग्य मूल्य को हर (denominator) के रूप में की जानी चाहिए ।	
vi. <u>खुदारा ऋण तथा अग्रिम</u>	
(ए) उपभोक्ता ऋण वयैक्तिक ऋण सहित	125
(बी) स्वर्ण और चाँदी के आभूषणों पर 1 लाख रुपये तक ऋण	50
(सी) शिक्षा ऋण सहित अन्य सभी ऋण तथा अग्रिम	100
(डी) शेयरों / डिबेंचरों की प्राथमिक / संपार्श्विक जमानत पर दिया गया ऋण	127.5
vii. <u>पट्टाकृत आस्तियां</u>	
(ए) किराए पर खरीद / पट्टा संबंधी गतिविधियों से जुड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की पात्र गतिविधियों के लिए ऋण तथा अग्रिम	100
(बी) किराए पर खरीद / पट्टा संबंधी गतिविधियों से जुड़ी ग़ैर-जमाराशिग्राही व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एन डी-एसआई) को ऋण तथा अग्रिम	125

viii. डीआईसीजीसी/ ईसीजीसी की परिधि में आने वाले अग्रिम	50
ix. आवास ऋण में सीआरजीएफटीएचआईएच द्वारा गारंटीकृत हिस्सा। गारंटीकृत हिस्से के बाद जो भी अतिरिक्त बकाया शेष राशि हैं, उनपर उचित जोखिम भार लागू होगा।	0
टिप्पणी : 50% जोखिम भार प्रत्याभूत राशि तक सीमित हो न कि खातों में संपूर्ण बकाया शेष तक। प्रकारांतर से प्रत्याभूत राशि से अधिक बकाया पर 100% जोखिम भार लगाया जाएगा ।	
x. पर्याप्त मर्जिन उपलब्ध होने पर मीयादी जमाराशियों, जीवन बीमा पॉलिसियों, राष्ट्रीय जमा प्रमाणपत्रों (एन एस सी) इंदिरा विकास पत्रों (आइवीपी) तथा किसान विकास पत्रों (केवीपी) के लिए अग्रिम	0
xi. बैंकों के कर्मचारियों को ऋण जो अधिवर्षिता के लाभों एवं फलैट/ घर के दृष्टिबंधक से पूरी तरह कवर हों ।	20
टिप्पणी : जोखिम भार लगाने के प्रयोजन से किसी उधारकर्ता के कुल निधिकृत तथा गैर-निधिकृत ऋण की गणना करते समय बैंक उधारकर्ता के कुल बकाया ऋण से समंजन करें ।	
(ए) नकदी मार्जिन अथवा जमाराशियों द्वारा संपार्श्विकृत अग्रिम	
(बी) उधारकर्ता के चालू अथवा अन्य खातों में ऋण शेष जिन्हे किसी विशेष प्रयोजन के लिए निर्धारित न किया गया हो तथा वे किसी भी धारणाधिकार (Lien) से मुक्त हों,	
(सी) किन्ही भी आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास अथवा अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान किए गए हों	
(डी) डीआईसीजीसी/ इसीजीसी से प्राप्त दावे और समायोजन के लिए किसी पृथक खाते में रखे गए हों यदि संबंधित खातों में बकाया देय राशियों के प्रति उनका समायोजन न किया गया हो ।	
IV. <u>अन्य आस्तियां</u>	
1. परिसर फर्नीचर तथा फिक्सचर	100
2. अन्य आस्तियां	
(i) सरकारी प्रतिभूतियों पर देय ब्याज	0
(II) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे गए सी आर आर शेष पर उपचित ब्याज	0
(IIi) कमचारियों को दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज	20
(iv) बैंकों से प्राप्त ब्याज	20
(v) अन्य सभी आस्तियां	100
V. <u>खुली स्थिति में बाजार जोखिम</u>	
1. विदेशी मुद्रा खुली स्थिति पर बाजार जोखिम (केवल प्राधिकृत व्यापारियों पर लागू)	100

2. खुली स्वर्ण स्थिति पर बाजार जोखिम	100

बी. <u>तुलन पत्रेतर मदें</u>

तुलन पत्रेतर मदों से संबंद्ध ऋण जोखिम सीमा की गणना पहले तुलन पत्रेतर की प्रत्येक मद की अंकित राशि में `ऋण संपरिवर्तन कारकों ' से गुणा करके की जाए जैसा कि नीचे की तालिका में दर्शाया गया है । उसके बाद उसमें ऊपर दिए गए अनुसार संबंधित प्रति-पक्षकार पर लागू भारो से पुन: गुणा किया जाए ।

क्रमांक	**लिखत**	**ऋण संपरिवर्तन कारक (%)**
1.	प्रत्यक्ष ऋण प्रतिस्थापन जैसे ऋणग्रस्ता (ऋणों तथा प्रतिभूतियों के लिए वित्तीय गारंटियों के रूप में वैकल्पिक साख पत्रों सहित) तथा स्वीकृतियां (स्वीकृति के साथ पृष्ठांकन सहित) की सामान्य गारंटियां	100
2.	कतिपय लेनदेन संबंधी आकस्मिक मदें (जैसे विशेष लेनदेनों से संबंधित वारंटियां तथा वैकल्पिक साख पत्र)	50
3.	अल्पकालिक स्वपरिसमापक व्यापार से जुडी आकस्मिक निधिं (अंतर्निहति पोतलदान द्वारा संपार्श्विकृत दस्तावेजी क्रेडिट जैसे)	20
4.	विक्री तथा पुनर्खरीद करार तथा रीकोर्स के साथ आस्ति बिक्री जहां ऋण जोखिम बैंक पर हो।	100
5.	अगाऊ आस्ति खरीद, अगाऊ जमाराशि तथा आंशिक रूप से दत्त शेयर तथा प्रतिभूतियां जो कतिमय ड्राडाउन के साथ वचनबध्दताओं को दर्शाती हों।	100
6.	नोट जारी करने की सुविधाएं तथा उनसे जुड़ी हामीदारी सुविधांए	50
7.	एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाली अन्य वचनबध्दताएं (जैसे औपचारिक वैकल्पिक सुविधाएं तथा क्रेडिट लाइन्स)	50
8.	एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता अवधि वाली समरूपी वचनबध्दताएं अथवा जिन्हें किसी भी समय बेशर्त निरस्त किया जा सकता हो	0
9.	(i) अन्य बैंको की प्रति गारंटियों पर बैंकों द्वारा जारी की गई गारंटियां	20
	(II) बैंकों द्वारा स्वीकृत दस्तावेजी हुंडियो की पुनर्भुनाई। बैंकों द्वारा भुनाई गई हुंडियां जिन्हें किसी अन्य बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, वो किसी बैंक पर एक निधिकृत दावा जाएगा।	20
	टिप्पणी : इन मामलों में बैंकों को पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिए कि वास्तव में जोखिम सीमा अन्य बैंक पर है । साख पत्र के अंतर्गत खरीदी/ भुनाई/ परक्रामित/ हुंडियों को साख पत्र जारी करने वाले बैंक पर जोखिम सीमा (जहां लाभार्थी को भुगतान `आरक्षित निधि के अंतर्गत ' नहीं किया गया है) के रूप में माना जाएगा न कि उधारकर्ता पर। सभी को, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, पूँजी पयाप्तता प्रयोजनों के लिए अंतर-बैंक जोखिम सीमाओं पर सामान्यत:	

	लागू जोखिम भार लगाया जाएगा। `आरक्षित निधि के अंतर्गत' स्पष्ट रूप से किए गए सभी बेचानों के मामले में, जैसा कि, जोखिम उधारकर्ता पर माना जाना चाहिए न कि उधारकर्ता पर और तदनुसार जोखिम भार लगाया जाना चाहिए।	
10.	मूल परिपक्वता अवधि वाली कुल बकाया विदेशी मुद्रा संविदाएं 14 कैलंडर दिवसों से कम 14 दिवसों से अधिक लेकिन एक वर्ष से कम प्रत्येक एक अतिरिक्त वर्ष अथवा उसके भार के लिए	0 2 3
	टिप्पणी: जोखिम भार लगाने के प्रयोजन से किसी उधारकर्ता की कुल निधिकृत तथा ग़ैर-निधिकृत ऋण सीमा की गणना करते समय बैंक चालू अथवा अन्य खातें में उधारकर्ता के ऋण शेष की कुल बकाया ऋण सीमा के प्रति समंजित करें जिन्हें किसी विशेष प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है और जो किसी प्रकार के ग्रहणाधिकार (लिएन) से मुक्त हों। जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, संपरिवर्तन कारक का प्रयोग करते हुए समायेजित तुलन पत्रेतर मूल्य में पुन: संबंधित प्रतिपक्षकार पर लागू भार से गुणा किया जाएगा जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है।	

टिप्पणी: *वर्तमान में, शहरी सहकारी बैंक अधिकतर तुलन पत्रेतर लेनदेन नहीं कर रहे हैं। तथापि, उनके विस्तार की संभावना को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तुलन पत्रेतर मदों के प्रति जोखिम-भार दर्शाए गए हैं जिन्हें शायद भविष्य में शहरी सहकारी बैंक व्यवहार में लाएं।*

II. बैंकों के विदेशी परिचालनों के संबंध में अतिरिक्त जोखिम भार

(केवल प्राधिकृत व्यापारियों पर लागू)

1. विदेशी मुद्रा तथा ब्याज दर संबंधित संविदाएं

(i) विदेशी मुद्रा संविदाओं में निम्नलिखित शामिल है :

(ए) विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप

(बी) वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं

(सी) मुद्रा फचूचर्स

(डी) खरीदे गए मुद्रा ऑप्शन

(इ) इसी प्रकार की अन्य संविदाएं

(II) अन्य तुलनपत्रेतर मदों के मामले में नीचे निर्धारित की गई दो-स्तरीय गणना का प्रयोग किया जाएगा :

(ए) चरण 1 - प्रत्येक लिखत के सांकेतिक मूलधन में नीचे दिए गए संपरिवर्तन गुणक से गुणा किया जाता है :

मूल परिपक्वता अवधि	**संपरिवर्तन कारक**
एक वर्ष से कम	2%
एक वर्ष और दो वर्ष से कम	5% (अर्थात 2% + 3%)

प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 3%

(बी) चरण 2 - इस प्रकार प्राप्त समायोजित मूल्य में संबंधित प्रतिपक्षकार के लिए निर्धारित जोखिम भार से गुणा किया जाएगा जैसा कि। - अ में ऊपर दिया गया है ।

2. ब्याज दर संविदाएं

(III) ब्याज दर संविदाओं में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(ए) एकल मुद्रा ब्याज दर स्वैप

(बी) मूल स्वैप

(सी) वायदा दर समझौता

(डी) ब्याज दर फ्यूचर्स

(इ) खरीदे गए ब्याज दर ऑप्शन

(एफ) इसी प्रकार की अन्य संविदाएं

(iv) अन्य तुलन पत्रेतर मदों के मामले के अनुसार नीचे निर्धारित की गई दो स्तरीय गणना की प्रयोग किया जाएगा :

(ए) चरण 1 - प्रत्येक लिखत के सांकेतिक मूलधन में नीचे दिए गए संपरिवर्तन गुणक से गुणा किया जाता है :

मूल परिपक्वता अवधि	संपरिवर्तन कारक
एक वर्ष से कम	0.5%
एक वर्ष और दो वर्ष से कम	1.0%
प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए	1.0%

(बी) चरण 2 - इस प्रकार प्राप्त समायोजित मूल्य में संबंधित प्रतिपक्षकार के लिए निर्धारित जोखिम भार से गुणा किया जाएगा जैसा कि। - अ में ऊपर दिया गया है ।

टिप्पणी : *वर्तमान में, अधिकतर शहरी सहकारी बैंक विदेशी मुद्रा लेनदेन नहीं कर रहे हैं। तथापि, जिन शहरी सहकारी बैंकों को प्राधिकृत व्यापारी का लाइसेंस दिया गया है वे औपर उल्लिखित लेनदेन कर सकते हैं। किसी विशेष लेनदेन के लिए जोखिम भार निर्धारित करने में किसी अनिश्चितता की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण लिया जाए।*

3. कारपोरेट बॉंड में रेपो

रेपो लेनदेन में उधारकर्ता के रूप में कार्य करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को, ऋण जोखिम के अनुरूप प्रति-पार्टी ऋण जोखिम के लिए इस प्रकार प्रावधान करना होगा कि जिस प्रकार ऋण/ निवेश एक्सपोजर पर किया जाता हो।